



आवेदन क्रमांक:BU1803250006

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

RENWAL

क्रमांक: /अका./संब./2018

भोपाल, दिनांक:

प्रति,

प्राचार्य,

204-RAJEEV GANDHI COLLEGE OF EDUCATION
HOSHANGABAD ROAD, OBEDULLAHGANJ
RAISEN
NCTE FILE NO.:223198

विषय:- सम्बद्धता की निरन्तरता/नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने विषयक सत्र 2018-19.

महोदय,

निरीक्षण समिति की अनुशंसा, कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्राप्त अधिकार अनुसार प्राप्त स्वीकृति के उपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-


Course Name / Branch	Seat No.
BED-PLAIN	50

शर्त:-

- (1) अस्थाई सम्बद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2019-20 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था की मान्यता, निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- (2) विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 सहित अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
- (3) प्राचार्य / शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (4) महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- (5) शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- (6) उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी सशर्त (यदि कोई हो) अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में सम्बद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- (7) बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबन्धन की होगी।
- (8) विश्वविद्यालय में जमा/जमा की जाने वाली एफ0डी0आर0 की पूर्ण जानकारी एक माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (9) किसी भी नियम/निर्देश/प्रावधान की पूर्ति न होने की स्थिति में यह सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जावेगी।




आदेशानुसार


उपकुलसचिव (अकादमी)
भोपाल, दिनांक:

पृ0क्रं0: /अका./संब./2018

प्रतिलिपि:-

- (1) आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- (2) अतिरिक्त संचालक भोपाल / नर्मदापुरम संभाग, भोपाल।
- (3) प्रभारी, आई0टी0/वेब सेल, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
- (4) उपकुलसचिव (गोपनीय / परीक्षा) की ओर सूचनार्थ।
- (5) कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।


सहायक कुलसचिव (अकादमी)

प्र.सहायक कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)